उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

I/22022/2025 काविनी एवं विनियम-29/पकालि/25 Comp.No.17737 23-08-2025

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनिय-2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.06.2025 को सम्पन्न 213(30)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी कम्पनियों तथा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के नियंत्रणाधीन तकनीशियन से अवर अभियन्ता के पद पर चयन हेतु वर्तमान कार्यालय ज्ञाप सं0 530-विनियम एवं काविनी-29/पाकालि/2018 दिनांक 03.10.2018 की व्यवस्था (तालिका-01) को संशोधित करते हुये एतद्द्वारा तालिका-02 की नवीन व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

1- विभागीय पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया में 100 अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :-

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>वर्तमान व्यवस्था
(तालिका-01)</th><th>प्रतिस्थापित व्यवस्था
(तालिका-02)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं विभिन्न वितरण कंपनियों में आमेलित हो चुके टी0जी0-।। की "संयुक्त वरिष्ठता सूची" के आधार पर, अवर अभियंता के पद पर विभागीय प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
विभागीय पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया में 100 अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :-
1 | हाई स्कूल | 30 अंक
2 | आई०टी०आई०/ उच्च तकनीकी योग्यता (आई०टी०आई० के स्थान पर डिप्लोमा/डिग्री) | 35 अंक
3 | अनुभव (प्रत्येक वर्ष के सेवा के लिए 1 अंक) | 35 अंक
(530-विनियम एवं काविनी-29/पाकालि/2018 दिनांक 03.10.2018 के बिन्दु-। के अनुसार)</td><td>यथावत्</td></tr>
</table>

2 - चयन हेतु पात्रता

क. प्रोन्नति हेतु 40 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत पात्रता :-

क्रम संख्या	वर्तमान व्यवस्था (तालिका-01)	प्रतिस्थापित व्यवस्था (तालिका-02)
1	कार्मिक तकनीशियन के पद पर स्थायी घोषित हो। *(530-विनियम एवं काविनी-29/पाकालि/2018 दिनांक 03.10.2018 बिन्दु-II के उपबिन्दु "क" अनुसार)*	**यथावत्**
2	कार्मिक तकनीशियन के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हो। 530-विनियम एवं काविनी-29/पाकालि/2018 दिनांक 03.10.2018 *बिन्दु-II के उपबिन्दु "ख" अनुसार)*	प्रत्येक चयन वर्ष के प्रारम्भ में कार्मिक तकनीशियन के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।
3	वर्तमान में लागू आदेश 530-विनियम एवं काविनी-29/पाकालि/2018 दिनांक 03.10.2018 में आई0टी0आई0 की मान्यता सम्बन्धित विवरण अंकित नही है।	1. दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रमाण-पत्र एवं फ्रेंचाइजी संस्थानो द्वारा ऑफ कैम्पस विधि से प्राप्त तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। 2. गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से (NCVT/SCVT के अतिरिक्त) प्राप्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। 3. इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल (कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण) के अतिरिक्त किसी अन्य विधा से प्राप्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे ।

ख. प्रोन्नति हेतु **8.33** प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत पात्रता :-

क्रम संख्या	वर्तमान व्यवस्था (तालिका-01)	प्रतिस्थापित व्यवस्था (तालिका-02)
1	कार्मिक तकनीशियन के पद पर स्थायी घोषित हो। (530-विनियम एवं काविनी-	**यथावत्**

	29/पाकालि/2018 दिनांक 03.10.2018 *बिन्दु-II के उपबिन्दु "क" अनुसार)*	
2	न्यूनतम डिप्लोमाधारी/ डिग्रीधारी तकनीशियन जो तकनीशियन के पद पर 5 वर्ष की सेवा की होगी। (530-विनियम एवं काविनी-29/पाकालि/2018 दिनांक 03.10.2018 *बिन्दु- II के उपबिन्दु "ग" अनुसार)*	न्यूनतम डिप्लोमाधारी/ डिग्रीधारी तकनीशियन जो तकनीशियन के पद पर प्रत्येक चयन वर्ष के प्रारम्भ में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हो।
3	दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं फ्रेंचाइजी संस्थानों द्वारा ऑफ कैम्पस विधि से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा/ डिग्री मान्य नहीं होंगे। गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा /डिग्री मान्य नहीं होंगे। *(530-विनियम एवं काविनी-29/पाकालि/2018 दिनांक 03.10.2018 बिन्दु-II के उपबिन्दु "ग-1 व 2" अनुसार)*	**यथावत्**

3 . <u>तकनीशियन कार्मिकों से अवर अभियन्ता पद पर चयन हेतु आवेदन प्राप्त किया जाना एवं चयन प्रक्रिया :-</u>

क्रम संख्या	वर्तमान व्यवस्था (तालिका-01)	प्रतिस्थापित व्यवस्था (तालिका-02)
1	वर्तमान में तकनीशियन के अभिलेख नियंत्रक अधिकारी द्वारा ई0आर0पी पोर्टल पर अपलोड किये जाते है। वर्तमान में सत्यापित फार्म के माध्यम से आवेदन नहीं प्राप्त किये जाते है।	सभी अर्ह तकनीशियन कार्मिको से अवर अभियंता के पद पर चयन हेतु आवेदन फार्म निर्धारित प्रारूप में निर्दिष्ट चेक लिस्ट के अनुसार समस्त प्रपत्रों के साथ नियन्त्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं अग्रसारित कर प्राप्त किये जायेंगे।
2	चयन प्रक्रिया में चयन हेतु पात्र 03 गुना कार्मिकों को सम्मिलित किया जाता है। (आदेश संख्याः 187-विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/09-09-विनियम/85 दिनांक 26.11.2009 के बिन्दु 17 ए(1) के अनुसार)	निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदित कार्मिकों की सूची को वरिष्ठता सूची के क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा। तत्पश्चात् सम्बन्धित कोटे के अन्तर्गत कार्मिकों को चयन प्रक्रिया में विचारित किया जायेगा।

4. यह संशोधित नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। का0ज्ञा0सं0-530-विनियम एवं काविनी-29/पाकालि/2018 दिनांक 03.10.2018 उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा, इसके अतिरिक्त अन्य शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

I/22022/2025 काविनी एवं विनियम-29 23-08-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम, वाराणसी/मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम, लखनऊ/पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ/दाक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 एवं यू०पी०आर०ई०वी० के निजी सचिव ।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
6. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को उनकी पत्रावली सं0-4757 के सन्दर्भ में प्रेषित।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस०एल०डी०सी० परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।
11. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

23/8/25

(अंजू)

अनुसचिव (काविनी एवं विनियम)